भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5300
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने का लक्ष्य

5300. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सतत् और ऊर्जा दक्ष कूलिंग समाधानों तक पहुंच सुनिश्चित करके कूलिंग की बढ़ती मांग की चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उद्योगों, परिवहन, घरों और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

माननीय विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, भवन (उपकरणों सहित), परिवहन और अन्य/विविध क्षेत्रों में योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं के कार्यन्वयन से, इसका उद्देश्य, उस परिदृश्य की तुलना में जिसमें ये हस्तक्षेप नहीं किए जाते हैं, वर्ष 2030 में ऊर्जा खपत को 89 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) तक कम करना है।

(ख) : संधारणीय शीतलन बढ़ती शीतलन मांग का समाधान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सतत और ऊर्जा कुशल शीतलन समाधान सुनिश्चित करते हुए बढ़ती शीतलन मांग को संतुलित करने के लिए, दो नए भवन कोड: वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता (ईसीएसबीसी) और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ईएनएस) को राज्यों द्वारा अपनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रकाशित किया गया है। एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन और रेफ्रिजरेटर को मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अनिवार्य अनुपालन के अंतर्गत लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग शीतलन उद्देश्यों के लिए हो।

इसके अतिरिक्त, बढ़ती शीतलन मांग का समाधान करने के व्यापक लक्ष्य के साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी) शुरू की।

(ग) एवं (घ) : विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उद्योग, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार स्कीम। यह क्षेत्र-विशिष्ट ऊर्जा कटौती लक्ष्य निर्धारित करता है, जिससे उद्योगों को लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिसका विद्युत एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। यह अनुपालन में अनुकूलन प्रदान करते हुए लागत प्रभावी ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करता है।

II. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रमुख ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को 1 से 5 तक स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसमें 5 स्टार सबसे दक्ष उपकरण के रूप में होता है। स्टार लेबल के आधार पर, उपभोक्ता को ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद के बारे में सूचित विकल्प चिन्हित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विद्युत की खपत में बचत होती है।

III. भवन क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता (ईसीएसबीसी) और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ईएनएस) प्रकाशित की गई हैं। इन संहिताओं को राज्यों/स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया और लागू किया जाना है।

IV. परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंड।

****